न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2025 बउनवानी प्रियंका गोत्तम **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पत्नि देवप्रिया गौत्तम पुत्री सुरेश चन्द गौत्तम निवासी 1/506 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 139

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***कार्यालय जिला कलेक्टर के गोपनीय अनुभाग मे वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत देवप्रिय गोत्तम का वर्ष 2022 मे व0लि0 के पद पर प्रमोशन हुआ था प्रमोशन के समय देवप्रिय गौत्तम द्वारा दिये गए समस्त शपथ पत्र/घोषणा पत्रो की प्रमाणित सूचना*** "अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(19)सूकाअ/2025/748 दिनांक 19.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.2.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को जरिये पत्रांक169–71 दिनांक 19.2.2025 से लिखा गया। उक्त संबंध में श्री देवप्रिय गोत्तम द्वारा क्रमशः दिनांक 15.3.2023 एवं 25.3.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी निजी सूचनाऐ किसी को नही दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है। अतः प्रियंका गौत्तम द्वारा चाही गयी सूचनाऐ श्री देवप्रिय गौत्तम की व्यक्तिगत सूचनाऐ होने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत देय नही है। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 274 दिनांक 21.03.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना श्री देवप्रिय गौत्तम की व्यक्तिगत सूचनाऐं होने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत देय नही है। जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलन्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:32:25 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner